न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आरएएस

प्रकरण संख्याः—144 / 2008 / आवेदन 212आरटीए

1. बन्धु पब्लिक स्कूल सोसायटी खाटूश्यामजी जरिये व्यवस्थापक तहसील दांतारामगढ।

—प्रार्थी

ब ना म

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार दांतारामगढ।

—अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः

1. श्री शिवपाल सिंह वकील प्रार्थी की ओर सें।

निर्णय दिनांकः 31.10.2019

1. आवेदन का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, सीकर द्वारा सरकारी भूमि गत खसरा नम्बर 1431 रकबा 0.61 हैक्टेयर तन खाटू में सें 0.50 है0 भूमि 30 साल की लीज पर दिनांक 24.10.1985 को दी गई थी जिसकी नामांतकरण संख्या 195 दिनांक 27.09.1990 को प्रार्थी संस्था के हक में स्वीकार हो गया व आवंटित भूमि का कब्जा प्रार्थी को उसी समय दिनांक 02.12.1985 को मौके पर अन्दाज सें पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का ने मौतबीर व्यक्तियों के सामने सम्भला दिया था जिस पर संस्था का कब्जा उसी स्थान पर निरंतर चला आ रहा है। प्रार्थी संस्था के कब्जे में वर्तमान ख0नं0 818 रकबा 0.08 है0 , ख0नं0 819 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 821 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 826 रकबा 0.03 है0 किता 5 कुल रकबा 0.44 हैक्टेयर तन ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ का चला आ रहा है। विवादित भूमि में बन्धू पब्लिक सीनियम सैकेण्डरी स्कूल भवन लेबोरेट्री भवन तथा बन्धू बालिका महाविद्यालय का भवन, स्नानघर व शौचालय आदि बने हुए है व संस्था के कब्जेशुदा भूखण्ड के उत्तरी साईड में गंदे पानी निकासी का पक्का नाला बना हुआ है। इस प्रकार विवादित भूखण्ड पर संस्था का कब्जा निरंतर निर्बाध रूप सें हमेशा की भांति चला आ रहा है। हाल ही तहसील दांतारामगढ का द्वितीय सेटलमेंट की कार्यवाही सन् 1996 में सम्पन्न हुई है जिसमें गलती सें प्रार्थी संस्था के कब्जेशुदा भूखण्ड के हाल खसरा नम्बर 818 रकबा 0.08 हैक्टेयर व ख0नं0 821 रकबा 0.08 है0 किता 2 कुल रकबा 0.16 हैक्टेयर तन ग्राम खाटू की खातेदारी प्रार्थी संस्था के हक में अंकित न

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

कर सरकारी भूमि चारागाह अंकित कर दी तथा इसी भांति भूमि ख0नं0 820 रकबा 0.11 है0 तन खाटू जो मौके पर श्मशान भूमि है व कुछ भाग आम रास्ते के काम में आ रहा है तथा कुछ गंदे पानी की निकासी का कच्चा नाला बना हुआ है उक्त भूमि की खातेदारी सर्वथा मौके के विपरित प्रार्थी संस्था के नाम अंकित कर दी जबकि ख0नं0 820 पर प्रार्थी संस्था का कभी कब्जा नहीं रहा है और न वर्तमान में है। इस प्रकार सेटलमेन्ट के दौरान गलती हुई है जो दुरूस्त की जाने योग्य है। अप्रार्थी यदि प्रार्थी को राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन के आधार र विवादित भूमि सें बेदखल कर देगा तो प्रार्थी को असीम क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति की जाना कतई संभव नहीं है। अतः अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा सें पाबंद किया जाना आवश्यक है। अतः आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीए पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा सें पाबंद किया जावे कि विवादित भूमि ख0नं0 818 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 821 रकबा 0.08 है0 तन ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ सें प्रार्थी संस्था को बेदखल करने व प्रार्थी के उपयोग उपभोग करने में बाधा डालने सें बाज रहे व विवादित आराजियात के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

2. आवेदन पेश होने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर सें राजपैरोकार हाजिर। आवेदन 212 आरटीए पर बहस सुनी गई।

3. आवेदन पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। दौराने बहस वकील प्रार्थी प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित करने में असफल है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है। अतः सुविधा संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धांत भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है। चूंकि प्रार्थी के हितों का निर्धारण मूलवाद में तय होना है। अतः न्यायहित में आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीए खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम व मूलवाद के साथ संलग्न हो।

यह निर्णय आज दिनांक 31.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

Scanned by CamScanner